



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2]

नई दिल्ली, जनवरी 23—जनवरी 29, 2005, शनिवार/माघ 3—माघ 9, 1926

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 23—JANUARY 29, 2005, SATURDAY/MAGHA 3—MAGHA 9, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2005

का०नि०आ० 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय (पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1982 और रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय (ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी और कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी के पद से है को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में पर्यवेक्षक और ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय (पर्यवेक्षक और ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पर्यवेक्षक	3* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसूचिबोध	6500-200-10500 रु. टिप्पण :—ज्येष्ठतम पर्यवेक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और वह 300/-रु. प्रति माह विशेष वेतन प्राप्त करेगा।	चयन

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	---	--	--	-----------------------------

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/स्थानांतरण/आमेलन किया जाएगा
--	--

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा तथा इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :—

ऐसे ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी जिन्होंने 5500-9000 रु. के वेतनमान में, उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिसने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

सरकारी विभागों में साधारण प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म-पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

इन नियमों के किसी उपबंध के संशोधन/ शिथलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---|----------|
| 1. निदेशक, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय (जो, रक्षा मंत्रालय के स्थापन खंड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) | —सदस्य |
| 3. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कार्यालय रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी	7* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)

प्रोन्नति द्वारा तथा इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति :—

ऐसे कनिष्ठ स्वागत अधिकारी जिन्होंने 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में, उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

उपयुक्तता खंड :— 5500-9000 रु. के वेतनमान में इस पद के उन्नयन के पूर्व 5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसे ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी के नियमित पदधारी की उन्नयित पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का आरंभिक रूप से निर्धारण सम्यक रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि वे उपयुक्त निर्धारित कर लिए जाते हैं तो उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए हुए समझे जाएंगे। यदि वे उन्नयित वेतनमान में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किए जाते हैं तो 5000-8000 रु. के पुनरीक्षित वेतनमानों में बने रहेंगे और प्रत्येक वर्ष उसके मामले का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं ; या

(2) जिसने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या

(3) जिसने मूल काडर/विभाग में 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

सरकारी विभागों में साधारण प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	इन नियमों के किसी उपबंध के संशोधन/ शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
4. निदेशक, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय	—अध्यक्ष
5. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय (जो, रक्षा मंत्रालय के स्थापन खंड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	—सदस्य
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य

[फा. सं. 62206/सौ.ए.ओ./आर-II]

एन. के. फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th January, 2005

S.R.O. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Security Office (Supervisor) Recruitment Rules, 1982, and the Ministry of Defence, Security Office (Senior Reception Officer and Junior Reception Officer) Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the post of Senior Reception Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Supervisor and Senior Reception Officer in the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Security Office (Supervisor and Senior Reception Officer) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—They shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of the pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so, to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other Backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

178-44/45-2

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Supervisor	3* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group- 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500 Note. —The senior most Supervisor will be designated as chief Supervisor and will draw special pay of Rs. 300 pm.	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
8			9	10	11	
Not applicable			Not applicable.	Not applicable	By promotion failing which by deputation	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made			If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
12			13		14	
Promotion : Senior Reception Officer in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade. Note. —Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			Group 'B' Departmental Promotion Committee : (for considering promotion) consisting of :— 1. Director Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Office, Ministry of Defence—Chairman 2. Under Secretary, Ministry of Defence (To be nominated by Establishment Division, Ministry of Defence) —Member 3. Chief Security Officer Security Office, Ministry of Defence —Member		Consultation with the Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.	

Deputation :

- (a) Officers of the Central Government :
 (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
 (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/department; and
 (b) Possessing the following educational qualifications :—

Essential :

Degree of a recognised University or equivalent ;

Desirable :

Three years experience in general administration in Government Departments.

Note.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt the of applications).

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Reception Officer	7* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable
8	9	10	11			
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion failing which by deputation			
12	13	14				
Promotion : Junior Reception Officer in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with ten years regular service in the grade. Suitability Clause.—The suitability of the regular holder of the post of Senior Reception Officer in the pay scale of Rs. 5000-8000 prior to the upgradation of this post to the pay scale of Rs. 5500-9000 will be initially assessed by a duly constituted Departmental Promotion Committee for considering promotion to the upgraded post. If assessed 'suitable' they shall be deemed to have been	Group 'B' Departmental Promotion Committee of : (for considering promotion) consisting of :— 1. Director Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence —Chairman 2. Under Secretary, Ministry of Defence (To be nominated by Establishment Division, Ministry of Defence) —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.				

12

13

promoted to the higher grade. If assessed Not suitable for promotion to the upgraded scale of pay, they shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000—8000 and his case will be reviewed every year.

Note—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000—6000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

Degree of a recognised University or equivalent ;

Desirable :

Two years experience in general administration in Government Departments.

Note.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications).

3. Chief Security Officer

Security Office,

Ministry of Defence

—Member

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

का.नि. आ. 6.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी समूह "ग" और "घ" अनौद्योगिक पद भर्ती और सेवा शर्त नियम, 1989 को, जहां उनका संबंध सिविलियन मोटर ड्राईवर श्रेणी I (विशेष), सिविलियन मोटर ड्राईवर श्रेणी-1 और सिविलियन मोटर ड्राईवर श्रेणी-2 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, आयुध कारखाना संगठन के अधीन आयुध और आयुध उपस्कर कारखानों और अन्य कार्यालयों तथा स्थापनों में, आयुध कारखाना बोर्ड मुख्यालय स्थापन को छोड़कर, सिविलियन मोटर ड्राईवर (विशेष श्रेणी) सिविलियन मोटर ड्राईवर (श्रेणी-1), सिविलियन मोटर ड्राईवर (श्रेणी-2), सिविलियन मोटर ड्राईवर (साधारण श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध और आयुध उपस्कर कारखाना सिविलियन मोटर ड्राईवर विशेष श्रेणी, सिविलियन मोटर ड्राईवर (श्रेणी-1), सिविलियन मोटर ड्राईवर (श्रेणी-2), और सिविलियन मोटर ड्राईवर (साधारण श्रेणी), समूह ग पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सिविलियन मोटर ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	54* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवा में सिविलियन समूह "ग" अनौद्योगिक अनुसंचिवाय	5000-150-8000 रु.	चयन

178 GT/05-3

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	---	--	--	-------------------------------

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 4500-125-7000/-रु. के वेतनमान में ऐसे सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-1, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	---

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. महाप्रबन्धक/ज्येष्ठ महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक | —अध्यक्ष |
| 2. उप महाप्रबन्धक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) | —सदस्य |
| 3. उप महाप्रबन्धक | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-1	378* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवा के सिविलियन समूह "ग" अनौद्योगिक अनुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : समुचित स्तर के व्यवसाय परीक्षण को उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए, 4000-100-6000/-रु. के वेतनमान में ऐसे सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-2, जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है।

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. महाप्रबन्धक/ज्येष्ठ महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक | —अध्यक्ष |
| 2. उप महाप्रबन्धक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) | —सदस्य |
| 3. उप महाप्रबन्धक | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-2	324* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवा के सिविलियन समूह "ग" अनौद्योगिक अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : समुचित स्तर के व्यवसाय परीक्षण को उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए, 3050-75-3950-80-4590/-रु. के वेतनमान में ऐसे सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी), जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है।

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता।

- | | |
|---|----------|
| 1. महाप्रबन्धक/ज्येष्ठ महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक | —अध्यक्ष |
| 2. उप महाप्रबन्धक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति) | —सदस्य |
| 3. उप महाप्रबन्धक | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	304* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवा के सिविलियन समूह "ग" अनौद्योगिक अनुसचिवीय	3050-75-3950-80- 4590/- रु.	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	32 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन : (2) उसके पास मोटर गाड़ी	नहीं	दो वर्ष

(7)	(8)
या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : उन पदों की बाबत, जिन पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मरम्मत की बुनियादी जानकारी सहित भारी और हल्के वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति अवश्य हो।
(11)	(12)
(1) 50 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा : (2) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर एस1 (2550-55-2660-3200/- रु.), एस-2ए (2610-60-2910-65-3300-70-4000/- रु.) और एस 4 (2750-70-3800-75-4400/- रु.) के वेतनमान में ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती की जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। टिप्पणी : सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रोन्नति में, ऐसे व्यक्तियों को, जो उच्चतर वेतनमान धारण किए हुए हैं, उन व्यक्तियों से, जो निम्नतर वेतनमान धारण किए हुए हैं, सामुहिक रूप में उच्चतर रैंक में रखा जाएगा। उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो पोषक पदों में ज्येष्ठता है।
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महाप्रबन्धक/ज्येष्ठ महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक 2. उप महाप्रबन्धक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) 3. उप महाप्रबन्धक	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

[फा. सं. 41(8)/02/डी/एफवाई-II]

चान्द कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 18th January, 2005

S.R.O. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ordinance and Ordinance Equipment Factories Group 'C' and Group 'D' Non-industrial posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Civilian Motor Driver Grade-I (Special), Civilian Motor Driver Grade-I and Civilian Motor Driver Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Civilian Motor Driver (Special Grade), Civilian Motor Driver (Grade-I), Civilian Motor Driver (Grade-II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) in the Ordinance and Ordinance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordinance Factories Organisation, except the Ordinance Factory Board Head Quarter Establishment, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ordinance and Ordinance Equipment Factories Civilian Motor Driver (Special Grade), Civilian Motor Driver (Grade-I), Civilian Motor Driver (Grade-II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Scales of pay.—The number of said posts, their classification and the scales of the pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Civilian Motor Driver (Special Grade)	54* (2004) *Subject to variation dependant on work-load	Civilian in Defence Service, Group 'C' Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection	No	Not applicable

178 GI/05-4

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14

Promotion : Civilian Motor Driver Grade-I in the pay scale of Rs. 4500-125-7000 with three years' regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee comprising of :— 1. General Manager/Senior General Manager/Additional General Manager —Chairman 2. Deputy General Manager (SC/ST) —Member 3. Deputy General Manager —Member	Not applicable
--	--	----------------

1	2	3	4	5	6	7
2. Civilian Motor Driver Grade-I	378* (2004) *Subject to variation dependant on work-load.	Civilian in Defence Service, Group 'C' Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Selection	No	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

12	13	14
Promotion : Civilian Motor Driver Grade-II in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with six years' regular service in the grade subject to passing trade test of appropriate standard.	Departmental Promotion Committee comprising of :— 1. General Manager/Senior General Manager/Additional General Manager —Chairman 2. Deputy General Manager (SC/ST) —Member 3. Deputy General Manager —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Civilian Motor Driver Grade-II	324* (2004) *Subject to variation dependent on work-load.	Civilian in Defence Service, Group 'C' Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Selection	No	Not applicable
8	9	10	11			
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion			
12	13	14				
Promotion : Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with nine years' regular service in the grade subject to passing trade test of appropriate standard.	Departmental Promotion Committee comprising of :— 1. General Manager/Senior General Manager/Additional General Manager —Chairman 2. Deputy General Manager (SC/ST) —Member 3. Deputy General Manager —Member	Not applicable				
1	2	3	4	5	6	7
4. Civilian Motor Driver (Ordinary Grade)	304* (2004) *Subject to variation depending on work load.	Civilian in Defence Service, Group 'C' Non-Industrial, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	No	Not exceeding thirty two years (relaxable for Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). Note 1:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2:— In respect of posts, the appointments for which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit in each case will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
(i) Matriculation from a recognised University or Board	No	Two years	(i) Fifty per cent by direct recruitment
(ii) Must possess license for driving light and heavy vehicles with basic knowledge in automobile repairing			(ii) Fifty per cent, by promotion failing which by direct recruitment

12	13	14
Promotion :— Departmental candidates in the pay scale of <u>S-1</u> (Rs. 2550-55-2660-3200), <u>S-2A</u> (Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000) and <u>S-4</u> (Rs. 2750-70-3800-75-4400) with five years regular service in the grade and possessing qualifications as prescribed for direct recruit under column No. 8, on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.	Departmental Promotion Committee comprising of :— 1. General Manager/Senior General Manager/Additional General Manager —Chairman 2. Deputy General Manager (SC/ST) —Member 3. Deputy General Manager —Member	Not applicable
Note :— On promotion through Limited Departmental Competitive Examination to the post of Civilian Motor Driver (Ordinary Grade), persons holding higher Pay scale shall rank enblock higher or than those holding lower pay scale. Inter-se seniority will be the same as the seniority in the feeder post.		

[F. No. 41 (8)/02/D (Fy-II)]
CHAND KUMAR, Under Secy.

Note 1.—For the purpose of these rules, the Director General Ordnance Factories and Chairman, Ordnance Factories Board may authorize any member of the Board or an Additional Director General, Ordnance Factories, to exercise all or any of the powers on its behalf and it shall be deemed to have been exercised by the said Board.

Note 2.—The incumbents in the posts mentioned in the Schedule are normally liable for service in the same factory or office in the Ordnance Factories Organisation. But they will be, without prejudice to the right of the management, in the public interest, to transfer them to equivalent posts in any other factory or office in the Ordnance Factories Organisation.

Note 3.—Within the total number of posts in the same scale of pay, addition to and reduction of posts under different designations and names on any scale of pay may be made by Ordnance Factories Board from time to time on the basis of changes in work load and functional requirements.

Note 4.—The mode of conducting trade/tests shall be prescribed by the General Manager of the factory or Ordnance Factory Board. The tests may include written, practical examination, aptitude tests etc.

Note 5.—The term “Limited Departmental Competitive Examination” is only a method of Fast Track Promotion. Thus appointment through Limited Departmental Competitive Examination shall be treated as fast track Promotion for all purposes.

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2005

का०नि० आ० 7.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना आर्डिनेंस कोर (समूह 'ख', भंडारी कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 1986 को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक (भंडार) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना आर्डिनेंस कोर में ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक (भंडार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डिनेंस कोर ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक (भंडार) (समूह 'ख' पद अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक	320* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	5500-175-9000 रु.	चयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(11)		(12)		
प्रोन्नति		प्रोन्नति : 5000—8000 रु. के वेतनमान में ऐसे भंडार अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की		

17895/05-5

(12)

गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से वा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. महानिदेशक, आर्डिनेंस सेवा द्वारा नाम निर्देशित ब्रिगेडियर —अध्यक्ष
रैंक के अधिकारी, सेना मुख्यालय
2. महानिदेशक, आर्डिनेंस सेवा द्वारा नाम निर्देशित कर्नल/ —सदस्य
लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी, सेना मुख्यालय
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न सेवाओं के कर्नल/लेफ्टिनेंट —सदस्य
कर्नल/सेना के मेजर रैंक का एक अधिकारी
4. महानिदेशक, आर्डिनेंस सेवा द्वारा नाम निर्देशित सेना —सदस्य
मुख्यालय का एक अधिकारी

[फा. सं. ए-23731/ओ एस-8 सी (ii)/280/आर आर/रक्षा (नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 14th January, 2005

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps (Group 'B' Storekeeping Staff) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the post of Senior Store Superintendent (Stores) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Store Superintendent (Stores) in the Army Ordnance Corps, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Army Ordnance Corps, Senior Store Superintendent (Stores) (Group 'B' posts Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Scheduled annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Senior Store Superintendent	*320 (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	No
Age limit for direct recruitment		Educational and other qualification required for direct recruitments		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	2 Years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of posts to filled by various methods		In case of recruitment by promotion or absorption, grade from which promotion/absorption to be made			
11		12			
Promotion		Promotion : Store Superintendent in the scale of Rs. 5000-8000 with three years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			

178 9I 05-6

If a DPC exists; what is its composition

Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment

13	14
Group 'B' DPC (for Promotion) :—	Consultation with UPSC not necessary.
1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General Ordnance Service, Army HQs	—Chairman
2. One Officer of the rank of Colonel/Lt. Colonel nominated by the Director General Ordnance Service, Army HQs	—Member
3. One officer of the rank of Colonel/Lt. Colonel/Major of Arms/services other than Army Ordnance Corps	—Member
4. One officer of Army HQs nominated by Director General Ordnance Services	—Member

[F. No. A-23731/OS-8C(ii)/280/RR/D(A)]

R.B. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2005

का.नि.आ. 8.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बृजेश पाठक तथा श्री विजेयंद्र पाल सिंह, संसद सदस्य लोक सभा की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 76-अ, दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 में, निम्नलिखित संशोधन करती है; नामतः :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के तहत" शीर्षक के अधीन

(14) तथा (15) प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी; नामतः :—

(14) श्री बृजेश पाठक संसद सदस्य (लोक सभा) 16 दिसम्बर, 2004 से निर्वाचित सदस्य

(15) श्री विजेयंद्र पाल सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) 16 दिसम्बर, 2004 से निर्वाचित सदस्य

[सं. पी सी-11(51)/92/रक्षा(जीएस-VI)/संस्करण-II]

आर. एल. कपूर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना सा.नि.आ. संख्या 76(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया :—

1. का.नि.आ. संख्या 290 दिनांक 18-8-1986
2. का.नि.आ. संख्या 154 दिनांक 6-4-1987
3. का.नि.आ. संख्या 298 दिनांक 25-9-1987
4. का.नि.आ. संख्या 110 दिनांक 28-5-1990
5. का.नि.आ. संख्या 140 दिनांक 28-6-1990
6. का.नि.आ. संख्या 224 दिनांक 30-9-1991
7. का.नि.आ. संख्या 225 दिनांक 30-9-1991
8. का.नि.आ. संख्या 183 दिनांक 22-6-1992
9. का.नि.आ. संख्या 184 दिनांक 20-5-1993
10. का.नि.आ. संख्या 71 दिनांक 8-6-1993

11. का.नि.आ. संख्या 99 दिनांक 19-4-1995
12. का.नि.आ. संख्या 162 दिनांक 12-9-1996
13. का.नि.आ. संख्या 92 दिनांक 19-6-1998
14. का.नि.आ. संख्या 125 दिनांक 19-5-2000
15. का.नि.आ. संख्या 162 दिनांक 30-8-2001
16. का.नि.आ. संख्या 182 दिनांक 27-8-2002
17. का.नि.आ. संख्या 119 दिनांक 27-8-2003

New Delhi, the 11th January, 2005

S.R.O. 8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri Brajesh Pathak and Shri Vijayendra Pal Singh, Members of the Lok Sabha as Members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely :—

In the said notification, under the heading

“Under clause (i) of sub-section (1) of Section 12”

for the entries (14) and (15), the following entries shall be substituted, namely :—

(14) Shri Brajesh Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 16th December, 2004 Member

(15) Shri Vijayendra Pal Singh, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 16th December, 2004 Member

[No. PC-11(51)/92/D(GS-VI)/Vol. II]

R.L. KAPOOR, Under Secy.

Foot Note : The notification was published *vide* SRO No. 76(E), dated the 10th October, 1983 and subsequently amended *vide* :

1. SRO No. 290 dt. 18-8-1986
2. SRO No. 154 dt. 6-4-1987
3. SRO No. 298 dt. 25-9-1987
4. SRO No. 110 dt. 28-5-1990
5. SRO No. 140 dt. 28-6-1990
6. SRO No. 224 dt. 30-9-1991
7. SRO No. 225 dt. 30-9-1991
8. SRO No. 183 dt. 22-6-1992
9. SRO No. 184 dt. 20-5-1993
10. SRO No. 71 dt. 8-6-1993
11. SRO No. 99 dt. 19-4-1995
12. SRO No. 162 dt. 12-9-1996
13. SRO No. 92 dt. 19-6-1998
14. SRO No. 125 dt. 19-5-2000
15. SRO No. 162 dt. 30-8-2001
16. SRO No. 182 dt. 27-8-2002
17. SRO No. 119 dt. 27-8-2003

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2005

का.नि.आ. 9.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), की धारा 12 की उप-धारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री शंकर राय चौधरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित सा.नि.आ. 76-ई, दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; नामतः :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, “धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के तहत” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (13), के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी; नामतः :—

“(13) श्री शंकर राय चौधरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) 20 दिसम्बर, 2004 से 18 अगस्त, 2005 तक की अवधि के लिए निर्वाचित।”

[सं. पी सी-11(51)/92/रक्षा(जीएस-VI)]

आर. एल. कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2005

S.R.O. 9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri Shankar Roy Chowdhury, Member of the Parliament (Rajya Sabha) as Member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely :—

In the said notification, under the heading “Under clause (i) of sub-section (1) of Section 12” for the entries (13), the following entry shall be substituted, namely :—

“(13) Shri Shankar Roy Chowdhury, Member of Parliament (Rajya Sabha) elected with effect from 20th December, 2004 upto 18th August, 2005.”

[No. PC-11(51)/92/D(GS-VI)]

R.L. KAPOOR, Under Secy.